न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा
E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744 232587

मिसल नम्बर – 2003 / 00027

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

बनाम

1. लक्षमण वल्द मोती

जाति– राजपुत साकिन कुन्हाडी कोटा

जर्ये कायम मुकामात– 1 देवी सिहं पुत्र लक्ष्मण सिहं, 2 रेनुका पुत्री लक्ष्मण

2. दी वर्ल्ड रिन्युवल स्प्रिचुअल ट्रस्ट बम्बई

निर्णय दिनांक - 30/03/2026

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत् प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण के खाते जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 के अनुसार ग्राम कुन्हाडी की खसरा नम्बर मिन 272 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 291 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, 273 / 355 रकबा 3 बीघा 15, कुल रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा आराजी स्थित थी। दौराने सेटलमेंट उक्त नम्बर के नए खसरा नम्बर 366 रकबा 0.52 है0 तथा खसरा नम्बर 370 रकबा 0.50 है0 व खसरा नम्बर 381 रकबा 0.66 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.68 है0 बनाये गये। जबकि सेटलमेंट पूर्व का रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली के अनुसार 1.42 है0 बनता है। भू प्रबंध विभाग द्वारा प्रार्थीगण के खाते 0.26 है0 रकबा अधिक दर्ज किया गया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 370 रकबा 0.50 है0 में से 0.26 है0 भूमि वाके ग्राम कुन्हाडी को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावें। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल मिलान क्षेत्रफल 2038 से 2057 जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 जमाबंदी संवत् 2038 से 2057 जमाबंदी 2058 से 2061 संलग्न किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। वर्तमान में तहसीलदार लाडपुरा से मौका रिपोर्ट पुनः प्राप्त की गई।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में खसरा नम्बर 366 रकबा 0.52 है0 तथा खसरा नम्बर 370 रकबा 0.50 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.02 है0 भूमि नगर विकास न्यास कोटा (धारा 90बी) आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है उक्त खसरा नम्बरान पर घनी आबादी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

बसी हुई है। साथ ही खसरा न0 381 रकबा 0.66 है0 राजस्थान आवासन मण्डल कोटा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार विवादग्रस्त आराजी वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के नाम आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है। आबादी बसी हुयी है।

हमारे विनम्र मत में हस्तगत आराजी के आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज होने तथा मौके पर आबादी बसी होने के कारण वर्तमान में इस न्यायालय को प्रकरण में निर्णय पारित करने की अधिकारिता प्राप्त नही है। अतः प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि भू प्रंबध के दौरान रकबे में हुए किसी भी परिवर्तन हेतु सक्षम न्यायालय में चारा जोरी करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा